दिनांक 11.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 17 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर जनपदीय पुलिस द्वारा मात्र 10 मिनट के अन्दर मौके पर पहुँच कर, बचायी गयी युवक की जान

दिनांक 11–07–2025 को जनपद आगरा के थाना शाहगंज निवासी लगभग 20 वर्षीय युवक द्वारा अधिक मात्रा में दवाइयों को खाते हुए दिखाकर **"गुड बाय जान"** यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 11–07–2025 को प्रातः 06:32 AM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्णा द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल युवक की लोकेशन की जानकारी करके जनपद आगरा को प्रकरण से अवगत कराया गया ।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना शाहगंज के उ0नि0 मात्र 10 मिनट के अन्तराल में युवक के घर पहुंच गए एवं परिजनों से तत्काल युवक के सम्बन्ध में जानकारी की गई। परिजनों से जानकारी करके उपनिरीक्षक तत्काल परिजन को लेकर युवक के कमरे में पहुंचे, जहां युवक जोर–जोर से कुछ चिल्ला रहा था। उप निरीक्षक द्वारा परिजनों के सहयोग से युवक को अविलम्ब घरेलू प्राथमिक उपचार कराकर नजदीकी चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहाँ पर उपचार के उपरान्त युवक की स्थिति सही होने पर घर लाया गया। युवक के सामान्य होने पर उप निरीक्षक द्वारा उससे जानकारी की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि वह घर में 5 बहनों के बीच

इकलौता लड़का है, पिता लेबर का काम करते है तथा वह भी मजदूरी करता है। पिता द्वारा घर में रोज़ गृहक्लेश किया जाता है और उससे भी झगडा करते है, इन्ही कारणों से मानसिक रूप से परेशान होकर अवसाद में युवक द्वारा आत्महत्या करने के उद्देश्य से ऐसा कदम उठाया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा समय से पहुँच कर युवक को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउन्सलिंग की गयी, जिसपर युवक द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। युवक के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई–मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। **दिनांक 01–01–2023 से 10–07–2025 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 1132 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।**

जनपद बांदा/थाना बबेरू

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 10.07.2025 को थाना बबेरू पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निभौर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अरविन्द को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मरका जनपद बांदा में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में जनपद बांदा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरविन्द निवासी अहिरानी थाना बिल्हौर जनपद कानपुर।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–24

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 लाख रूपये नगद**
- **पीली धातु के 500 ग्राम आभूषण**
- **एप्पल की घड़ी**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 10.07.2025 की रात्रि थाना सेक्टर–24 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–35 के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–संजीव कुमार घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–अमन 3–सर्वपाल उर्फ गिन्नी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों

के कब्जे/निशादेही से 02 लाख रूपये नगद, पीली धातु के 500 ग्राम आभूषण, एप्पल की घड़ी, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त संजीव कुमार के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 31 अभियोग, अभियुक्त अमन के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग एवं अभियुक्त सर्वपाल उर्फ गिन्नी के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी आदि के 28 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–24 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजीव कुमार निवासी घोट कुरोना मधुबनी बिहार, हालपता 187 तृतीय तल शाहपुर जट थाना हौज खास साउथ दिल्ली।

2–अमन निवासी नीम चौक थाना सिटी पगबाडा जनपद कपूरथला पंजाब।

3–सर्वपाल उर्फ गिन्नी निवासी तृतीय तल वेदान्ता अपार्टमेन्ट ओमेक्स सिटी जनपद बहादुरगढ़ हरियाणा।

बरामदगी

1–02 लाख रूपये नगद।

2–पीली धातु के 500 ग्राम आभूषण।

3–एप्पस की घड़ी।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

5–घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना भेलूपुर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के माल बिक्री के 06 लाख 50 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 11.07.2025 को थाना भेलूपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अस्सी पुलिया के पास से 05 अभियुक्तों 1–अभिषेक उर्फ केतून 2–प्रियांशु उर्फ बाबू 3–करण 4–आशीष 5–राकेश को गिरफ्तार किया गया एवं एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के माल बिक्री के 06 लाख 50 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना भेलूपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिषेक उर्फ केतून निवासी भगवानपुर थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।

2–प्रियांशु उर्फ बाबू निवासी भगवानपुर थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।

3–करण निवासी नगवा थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।

4–आशीष निवासी शिवाला घाट थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

5–राकेश निवासी शिवाला घाट थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1–चोरी की भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–चोरी के माल बिक्री के 06 लाख 50 हजार रूपये नगद।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना आदमपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 43 लाख रूपये कीमत के 413.5 ग्राम पीली धातु की सिल्ली आदि**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 11.07.2025 को थाना आदमपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चन्दन शहीद मजार के पास से अभियुक्त समीर उर्फ अहमद अली उर्फ बाबू उर्फ सिंगर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 43 लाख रूपये कीमत के 413.5 ग्राम पीली धातु की सिल्ली आदि, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.06.2025 को थाना आदमपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना आदमपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद पीली धातु की सिल्ली आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–समीर उर्फ अहमद अली उर्फ बाबू उर्फ सिंगर निवासी बुनकर कॉलोनी करसडा बछाव थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1–चोरी के लगभग 43 लाख रूपये कीमत के 413.5 ग्राम पीली धातु की सिल्ली आदि।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना लालगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना लालगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुधीर कुमार को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————